कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

18394
13-12-16

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, बिक्रम
जिला– पटना

15 DEC 2016
प्राप्ति तिथि

महाशय,

नगर पंचायत, बिक्रम के वर्ष 2013–14 से 15–16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 305 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

पत्र पंजी
16 DEC 2016
13874

भवदीय,
–ह0–
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0/4624/354 दिनांक– 9.12.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पटना

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं.– 305/16–17

भाग-I

प्रस्तावना

1	कार्यालय का नाम	नगर पंचायत बिक्रम
2	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-2016
3	लेखापरीक्षा अवधि	30.05.16 से 04.06.16
4	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	मोहम्मद मोजम्मिल स.ले.प.अ. तारिक जमील पर्यवेक्षक श्री सत्येंद्र नारायण सिंह ले प
5	निरीक्षण अधिकारी	श्री सत्य प्रकाश सिंह
6	क्या कार्यालय प्रधान के साथ आपत्तियों पर विचार– विमर्श किया गया ?	हाँ, दिनांक 04.06.2016 को लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा की गई।

7 **प्रशासन**

- **कार्यपालक पदाधिकारी**

क्रम स0	नाम से	अवधि
1	श्री अनिल कुमार सिन्हा	01.04.13 से 03.03.14
2	श्री श्रीश चौहान	04.03.14 से 22.05.15
3	श्री आदित्य विक्रम	25.05.15 से 06.09.15
4	श्रीमती शौम्या	07.09.15 से अब तक

- **मुख्य पार्षद**

क्रम स0	नाम	अवधि
1	श्री सुनील कुमार	मार्च 2013 से अब तक

- **उप मुख्य पार्षद**

क्रम स0	नाम	अवधि
1	श्रीमती रूबी देवी	मार्च 2013 से 30 मार्च 15 तक
2	श्रीमती गुड़िया देवी	31 मार्च 2015 से अब तक

8. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र**– लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराये गये एवं नमूना लेखा परीक्षा की गई अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–**I** में तथा अनुपलब्ध एवं असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–II में दी गई है।

9. वित्तीय अधिदृश्य

नगर पंचायत, केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों एवं स्वयं के स्त्रोतों से वित्त पोषित है जिसके आधार पर पी.एल.खाता के रोकड़ बही सहित विभिन्न योजनाओं हेतु अन्य रोकड़ बहियों का संधारण किया जा रहा है जिसकी आय– व्यय विवरणी निम्न प्रकार है–

वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान नगर पंचायत के आयं व्यय इस प्रकार हैं :

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक शेष	आय	व्यय	अन्तशेष
2013–14	12527630	47159721	6901910	52785441
2014–15	52785441	55376862	23463519	84698784
2015–16	84698784	55065422	64116878	75647328
			94482307	

कंडिका– 10 सरकारी अनुदान

सरकार अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले अनुदानों का संधारण अनुदान पंजी में किया जाना है तथा इसमें अनुदानवार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ का पूर्व शेष, वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाला अनुदान, वर्ष के दौरान किये गये व्यय तथा वर्ष के अन्तशेष को दर्ज किया जाना है। लेकिन नगर पंचायत में अनुदान पंजी संधारित नहीं पाया गया। इसके अभाव में ज्ञात नहीं हो सका कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के प्रारंभ में किस अनुदान का पूर्व शेष क्या था तथा कौन से अनुदान कितने वर्षों से अनुपयोगी पड़े हुये थे। हालाकि प्रस्तुत विभिन्न रोकड़ बहीयों के अवलोकन से यह पता चला कि नगर पंचायत को वर्ष 2013–14 से 2015–16 की अवधि में राशि 150681936 प्राप्त हुई। (विवरणी परिशिष्ट– III पर)

अनुदान पंजी के अभाव में ज्ञात नहीं किया जा सका कि इन अनुदानों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया था अथवा नहीं जिन प्रयोजनों के लिए ये अनुदान सरकार से प्राप्त हुए थे, साथ ही, यह भी नहीं ज्ञात किया जा सका कि प्राप्त अनुदानों के विरूद्ध कितने राशि का उपयोग किया गया तथा वर्ष के अंत में कितनी राशि अनुपयोगी पड़ी रही।

अंकेक्षण की समाप्ति तक उपरोक्त किसी भी बिन्दुओं को स्पष्ट नहीं किया गया।

अतः अनुरोध है कि अगले अंकेक्षण में निम्न बिन्दुओं को स्पष्ट किया जाए–

- अनुदान पंजी का संधारण पूर्णरूप से किया जा रहा है अथवा नहीं।
- नगर पंचायत कार्यालय द्वारा सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदानों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों पर किया गया या नहीं एवं लेखाओं का संधारण किस विधि से किया गया था।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 के प्रारंभ में किस अनुदान का पूर्व शेष क्या था तथा कौन से अनुदान कितने वर्षों से अनुपयोगी पड़े हुये थे।

- वित्तीय वर्ष 2013–14 सें 2015–16 में इस कार्यालय को प्राप्त कुल अनुदान राशि 150681936/– रूपये के विरूद्ध कितने राशि का उपयोग किया गया तथा वर्ष के अंत में कितनी राशि किस कारण से अनुपयोगी पड़ी रह गयी।
- प्राप्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

प्राप्त सभी अनुदानो का आदेश पत्र अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

11. सामान्य अभियुक्ति

लेखा अभिलेखों के संधारण में अति सुधार की आवश्यकता है। प्रमुख अभिलेख जैसे :– मांग एवं वसूली पंजी, अनुदान पंजी, बंदोबस्ती पंजी इत्यादि संधारित नहीं थें। वसूली गयी राशियों के नहीं जमा के अनेक मामले दृष्टिगोचर हुए। निकाय के विभिन्न प्रकार के प्राप्तियों की देख– रेख तथा निकाय निधि में सही समय पर जमा सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार को समर्पित किया जाना चाहिए। योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार के दिशानिर्देश एवं मार्गदर्शिका के पालन की आवश्यकता है।

12. लेखापरीक्षा परिणाम

1– अंकेक्षण के दौरान जमा करायी गयी राशि – 41600

2– वसूली के लिए सुझाई गई राशि– 23649

3– आपत्ति के अधीन रखी गई राशि– 4847471

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन नगर पंचायत बिक्रम द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। प्राप्त सूचनाओं/तथ्यों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निरीक्षण प्रतिवेदन में त्रुटि की जिम्मेवारी महालेखाकार कार्यालय (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना की नहीं होगी।

भाग– ।। क– शून्य

भाग– ।। ख

कंडिका –1 विलोपित

कंडिका –2 संपत्ति कर निर्धारण, संग्रहण और वसूली ₹ 7974000

निर्धारित समय सीमा के भीतर घृति कर का स्वनिर्धारण कर नहीं जमा, जुर्माना ₹ 7974000

नियम–6 वार्षिक किराया बिहार नगरपालिका संपत्ति कर अधिनियम मूल्य तथा प्रति वर्गफीट किराया मूल्य निर्धारित करने की शक्ति

(1) किसी होल्डिंग का प्रतिफीट किराया तूल्य की दर नगरपालिका के द्वारा समय– समय पर राज्य सरकार के अनुमोदन से निर्धारित की जायेगी और ऐसे निर्धारण में धृति की अवस्थिति उसके निर्माण का प्रकार और अंश बिन्दु जो नगरपालिका भविष्य में निर्धारित करेगी, ध्यान में रखा जायेगा।

(2) किसी भी धृति का वार्षिक किराया मूल्य धृति के कार्पेट एरिया तथा प्रति वर्गफीट अथवा मीटर के रूप में निर्धारित किराया मूल्य जो उपर्युक्त उप–नियम (1) में निहित है के रूप में की जायेगी तथा ऐसे निर्धारण में अधिभाग के प्रकार और गैर आवासीय धृति के लिये नियम–4 में निर्धारित गुणक को भी ध्यान में रखा जायेगा।

नियम –7 धृति कर की दरः– धृति कर का निर्धारण बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा–127 में विहित वार्षिक किराया मूल्य के प्रतिशत के रूप में निर्धारित की जायेगी।

नियम –9 रिक्त भूमि करः– सभी रिक्त भूमि पर निम्न प्रकार कर लगाया जाएगाः–

(राशि ₹ में प्रति वर्गफीट की दर से)

कमांक	नगर निकाय	प्रधान मुख्य सड़क	मुख्य सड़क	अन्य
1	नगर निगम	5	4	3
2	नगर परिषद	4	3	2
3	नगर पंचायत	3	2	1

बिहार नगरपालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रहण और वसूली नियमावली 2013 के नियम 13 के अनुसार स्व–घोषण/स्व–निर्धारण ।–(1) प्रत्येक करदाता/धृति के मालिक की जिम्मेदारी होगी कि वे किसी मांग या सचूना की प्रतीक्षा किए बिना अपने धृति के धृति कर का स्व– निर्धारण कर उसका भुगतान नगरपालिका को करे (2) धृति कर की गणना और उसके भुगतान हेतु स्व घाेषणा एव स्व निर्धारण की योजना का पालन करना हर धृतिधारी/करदाता के लिए बाध्यकारी होगा। इन नियमों के सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने के बाद उतनी जल्दी जितना व्यावहारिक हो, परन्तु छह महीने के भीतर सभी नगरपालिकाएं नगर विकास एवं आवास विभाग धृति कर के भुगतान हेतु स्व निर्धारण की योजना को लागू करेंगे और इसके लिये स्व– निर्धारण प्रपत्र तैयार करेंगे तथा स्व–निर्धारण हेतु आवश्यक दिशानिर्देश, जैसा आवश्यक हो, निर्गत करेगी। (3) यदि किसी धृति का मालिक या कर दाता सपंत्ति कर के निर्धारण हेतु अनिवार्य

तात्विक जानकारी को जान बूझकर छिपा लिया संपत्ति कर का निर्धारण कम करा के देता है, वैसा व्यक्ति स्व–निर्धारण कर एवं वास्तव में भुगतेय कर की अन्तर राशि तथा उस पर एक सौ प्रतिशत शास्ति का दायी होगा।

14. अनिवार्य घोषणा ।–(1) हर उस धृति का स्वामी जिसकी धृति का धृति निर्धारण पूर्व में नहीं हुआ हो, इन नियमों के अधिसूचित होने के तीन माह के अदंर अपनी धृति का स्व–निर्धारण करते हुए धृति कर की गणनाँ करगेा तथा धृति कर का भुगतान नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार नगरपालिका को करेगा। परन्तु कोई करदाता विहित समय के अंदर नगरपालिका को धृति का स्व– निर्धारण कर भुगतान करने में असफल रहता है तो आवासीय सम्पति पर दो हजार रूपया (रु 2000) और अन्य सभी सम्पत्तियों पर पांच हजार (रु 5000) जुर्माना भुगतेय होगा। (2) प्रत्येक कर दाता जो भूमि और धृति पर धृति कर भुगतान के लिय दायी है ऐसी भूमि एवं धृति के अर्जन के 30 दिनों के अंदर नगरपालिका को सचूना देनी होगी। सचूना देने में विफल रहने पर वह सपंत्ति के अर्जन की तिथि से सचूना के छिपाने के कारण देय बकाये पर एक सौ प्रतिशत शास्ति के साथ निर्धारण का दायी होगें ा :–

नियम– 17 नगरपालिका द्वारा करों की वसूलीः–

प्रत्येक नगरपालिका अपने कर बकाए भुगतान और वसूली सुनिश्चित करने के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 158 के अधीन विनियमावली बनाएगी।

लेखापरीक्षा आपत्ति :–

1– प्रधान मुख्य सडक, मुख्य सडक एवं अन्य नियम 3 में प्रावधानित अंकेक्षण में समर्पित नही किया गया।

2– धृतियों की संपत्ति कर निर्धारण सूची प्रस्तुत नहीं की गई।

3 – नियम –9 के तहत रिक्त भूमि पर कर नहीं लगाया गया।

4 – नियम– 17 नगरपालिका द्वारा करों की वसूली हेतु कदम नहीं उठाये गये।

5 – प्रस्तुत बहियों, धृति कर रसीद, रोकड़ पाल, रोकड बही एवं अन्य दस्तावेज के नमूना जॉच के क्रम में पाया गया कि पंचायत के पास मांग एवं वसूली पंजी नही है जिससे पंचायत के पास कितने करदाताओं की राशि धृति कर बकाये के रूप में लंबित है की गणना नहीं की जा सकी ।

6 – बिहार नगरपालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रहण और वसूली नियमावली 2013 के नियम 13 सःपठित 14 के लागू होने के तीन महीने के भीतर प्रत्येक करदाता धृति कर का भुगतान नगर पंचायत को करेगा। परंतु कुल 3987 करदाताओं द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर धृति कर का स्व–निर्धाण कर नहीं जमा किया गया और जिन पर जुर्माना 3987 गुने 2000 प्रति करदाता = ₹ 7974000.00 देय है जिसकी वसूली नहीं की गई है।

कार्यालय द्वारा जवाब में यह कहा गया कि टैक्स निर्धारण हेतु सर्वेक्षण जारी है।

अतः नियमों के तहत टैक्स का निर्धारण एवं वसूली कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाए।

कंडिका –3 विविध रसीद से वसूली गई राशि कोषागार में जमा नहीं रू0 41600.00 लाख

नगर पंचायत बिक्रम के विविध रसीद के नमूना जॉच में पाया गया कि रू0 41600.00 की वसूली/प्राप्त विविध रसीद से की गई। (विवरण निम्न)

क्र0 सं0	रसीद सं0	विवरण	राशि
01	501 से 529		41600.00
		कुल	**41600.00**

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक लेखापरीक्षा अवधि उपरांत राशि रू 41600 दिनांक 10/06/16 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 33270338025 में जमा कर दिया है।

कंडिका –4 एच रसीद से वसूली गई राशि जमा नहीं रू0 23649.00

नगर पंचायत बिक्रम के एच रसीद के नमूना जॉच में पाया गया कि रू0 23649.00 की वसूली की गई। परन्तु इसे नगर पंचायत कोष में जमा नहीं किया गया जिनका विवरण निम्न है–

क्र0 सं0	रसीद सं0	वसूली	नहीं जमा की राशि
01	201 से 245	23649	23649.00
		कुल	**23649.00**

कार्यालय द्वारा जवाब में यह कहा गया कि जमा कर दिया गया है। परन्तु जमा का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः कुल राशि मो0 23649 वसूली हेतु सुझाई जाती है।

कंडिका –5 संचार (मोबाईल) टावरों का अनाधिकृत अधिष्ठापन एवं पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क बकाया ₹ 238000

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावरों एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है। उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क राशि ₹30,000.00 प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क की राशि ₹8,000.00 प्रतिवर्ष निर्धारित है। नियम 6(2) के अनुसार उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित टावरों को उपवर्गित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो के संख्या के आधार पर लिया जायेगा। नियम 6(4) के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से लगाया जायेगा। नियम 6(8) के अनुसार पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क के बिना तथा नगरपालिका के अनुमति के बगैर कोई भी संचार टावर स्थापित नही किया जायेगा तथा ऐसी अनुमति के बिना स्थापित सभी टावर अवैध माने जायेंगे।

अंकेक्षण के क्रम में यह पता चला कि कार्यालय नगर पंचायत बिक्रम द्वारा स्थापित टावरों से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। हालांकि कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी

विवरणी के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विभिन्न मोबाइल टावर कम्पनियों पर कुल मो0 ₹ 238000 का बकाया है।

अंकेक्षण आपत्ति / टिप्पणी

1. अंकेक्षण को स्पष्ट नहीं किया गया कि नगर पंचायत बिक्रम में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये कितनी कम्पनियों ने अपने मोबाइल टावर अधिष्ठापित किये थे और कार्यालय स्तर पर उनपर क्या कार्रवाई की गयी।

2. दिनांक 01.04.2016 के पूर्व मोबाईल टावरों पर लगाये गये अतिरिक्त एंटिनाओं की संख्या से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया।

3. अंकेक्षण को यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा विभिन्न मोबाईल कम्पनी के पास बकाया राशि मो0 ₹ 238000 की वसूली की दिशा में क्या आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाये गये हैं।

कार्यालय द्वारा जवाब में यह कहा गया कि राशि वसूली की कार्रवाई की जा रही है ।

कंडिका –6 दैनिक मजदुरी पर अप्राधिकृत व्यय 18.93 लाख

बिहार सरकार के पत्र सं0 4 न0 स0 1-103/87-1231/नगर विकास विभाग दिनांक 06.05.1992 एवं अन्य विभिन्न पत्रों द्वारा शहरी निकायों में दैनिक मजदूरी पर रोक लगायी गयी थी।

परन्तु लेखापरीक्षा में उपलब्ध दैनिक मजदुरी बही के अनुसार नगर पंचायत बिक्रम में 2013–14, 2014-2015 और 2015-16 के दौरान ₹ 1893430 दैनिक मजदुरी पर व्यय किया गया, जिसमें से रू 1199206 आंतरिक संसाधन मद तथा रू 694224 13वीं मद से खर्च की गई। जो कि सरकार के दिशानिर्देशों के विरुद्ध एवं अप्राधिकृत है। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– IV पर संलग्न)

सरकारी दिशानिर्देशों के बावजूद दैनिक मजदूरी पर किये गये व्यय के कारण से लेखापरीक्षा दल को अवगत कराया जाये।

कार्यालय द्वारा जवाब में यह कहा गया कि आवश्यक कार्य हेतु मजदूर लगाए गए। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि इससे सरकारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन का कारण स्पष्ट नहीं होता है ।

अतः अनियमित भुगतान की राशि रू0 1893430 आपत्ति के अधीन रखी जाती है ।

कंडिका –7 ढुलाई पर अनियमित भुगतान

वित्त विभाग के पत्रांक 165 दिनांक 12.01.2006 में यह स्पष्ट आदेश है कि सामग्रियों का क्रय उन्ही संस्थानों से किया जाना है, जो वैट से निबंधित है। साथ ही निर्माण कार्य में लधु–खनिज यथा–पत्थर बालू, ईट मिट्टी एवं अन्य का उपयोग संवेदकों द्वारा किया जाता है। उक्त लधु खनिजों की खरीदगी बिहार लधु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता, प्रबंधक, संवेदक या उप–पट्टाधारी से की जाती है तो इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवेदक द्वारा प्रपत्र 'एम' तथ 'एन' में अपना शपथ पत्र विपत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है। ताकि

कार्य विभाग प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। 'एम' तथा 'एन' के शपथ को असत्य पाए जाने या संवेदक द्वारा 'एम' तथा 'एन' में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नही करने पर बिहार लधु खनिज समनुदान नियामवली 1972 के नियम 40(8) के अंतर्गत लधु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

निर्माण से संबंधित अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी अभिलेख में न ही चलान और न ही एम0एंड0एन0 फार्म कार्यकारी एजेन्सी द्वारा संलग्न किया गया था। जबकि सभी योजनाओं में कार्यकारी एजेन्सियों को पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

योजना अभिलेख के नमूना जॉच में पाया गया कि ढुलाई पर व्यय का भुगतान रू0 2954041 किया गया था। (विवरणी परिशिष्ट– V पर)

लेखा परीक्षा आपत्ति

1. लेखा परीक्षा को यह बताया जाए कि अभिकर्ताओं द्वारा प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' जमा किया गया है या नही।
2. अभिलेखों के जॉच में पाया गया कि सरकार के उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करते हुए प्रपत्र 'M' एवं 'N' के साथ चलानों की प्रति लिये वगैर विपत्रों का भुगतान कर दिया गया। इससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि लघु खनिज की जो सामग्रियॉ कार्य के उपयोग में लाई गई, वह एकरारनामा/प्राक्कलन में प्रावधानित खदानों/स्थलों से ही लाई गई थी। इससे अवैध खनन को बढ़ावा दिये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फलतः दुलाई मद में किया गया भुगतान अनियमित है।
3. संबंधित योजनाओं मे किए गए मो0 रू0 2954041 के भुगतान को क्यों नही अनियमित माना जाए।

कार्यालय द्वारा जवाब में यह कहा गया कि जानकारी के अभाव में बिना एम और एन फार्म प्राप्त किए ढुलाइ का भुगतान किया गया । भविष्य में ध्यान रखा जायेगा ।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि इससे सरकारी दिशानिर्देशों के उल्लंधन होता है ।

अतः अनियमित भुगतान की राशि रू0 2954041 आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका –8 बिना बजट के व्यय

बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 75 के अनुसार नगरपालिका निधि से तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि वह बजट अनदुान में सम्मिलित न हो– इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी प्रकार की कटौती या अंतरण के होते हउु भी मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को नगरपालिका निधि से

किसी राशि के भुगतान अथवा व्यय मूलक कोई भी संविदा करने का अधिकार तब तक नहीं होगा जबतक कि ऐसा व्यय वर्तमान बजट से आच्छादित न हो तथा इसके लिए आय व्ययक में निधि उपलब्ध नहीं हो;

अंकेक्षण टिप्पणी –

1– नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15, एंव 2015–16 का वार्षिक विवरण बजट तैयार नहीं किया गया ।

2– वर्ष 2013–14, 2014–15, एंव 2015–16 के दौरान नगर पंचायत के आय व्यय इस प्रकार हैं :

वित्तिय वर्ष	आरंभिक शेष	आय (रू.)	व्यय (रू.)	अन्तशेष
2013–14	12527630	47159721	6901910	52785441
2014–15	52785441	55376862	23463519	84698784
2015–16	84698784	55065422	64116878	75647328
			94482307	

इस अंतराल के दौरान कुल व्यय रू 94482307 का बिना बजट के किया गया जो कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के खण्ड 75 का उल्लंघन है।

लेखापरीक्षा द्वारा पूछा गया कि क्यों नहीं बिना बजट के कुल व्यय रू 94482307 को अनियमित मानते हुए आपत्ति के अधीन रखा जाय।

कार्यालय द्वारा जवाब में यह कहा गया कि वर्ष 2016–17 का बजट तैयार कर सरकार को भेजा जा चुका है। वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 के व्यय की गई राशि को नियमित करवाया जाय।

भाग– III (TAN)

टिप्पणी –1 **लेखाओं का संधारण**

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 86, 88 एवं 89 में नगर निकायों को क्रमशः लेखा संधारण, वित्तीय विवरणी एवं तुलन पत्र का संधारण करने का प्रावधान किया गया है।

नगरपालिका द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार महीने के भीतर एक वित्तीय विवरणी जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के लिए Fund Flow Statement, Income And Expenditure Account, Receipt And Payment Account & Balance Sheet तैयार करना है।

नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त लेखाओ का संधारण निर्धारित प्रपत्र में नहीं किया गया। जवाब में कार्यालय द्वारा बताया गया कि लेखाओं का संधारण कर लिया जाएगा।

टिप्पणी –2 **विभिन्न पंजियों का संधारण**

नगर निकायों को निम्न पंजियों का संधारण करना है–

1) परिसंपत्ति पंजी
2) मांग एवं वसूली पंजी
3) अग्रिम पंजी
4) भंडार पंजी (चल एवं अचल)
5) सरकारी अनुदान पंजी
6) लेखापाल की रोकड़ बही
7) सम्पत्तियों के किराये से आय से संबन्धित पंजी - नगरपालिका अपनी सम्पत्तियों जैसे दुकानों, भूमि इत्यादि के मासिक किरायों के सामयिक संग्रहण हेतु मांग बही BMAR प्रपत्र मे 23 विवरण रखेगी ।

लेखापरीक्षा आपत्ति

नगर **पंचायत** द्वारा उपरोक्त लेखाओं का संधारण निर्धारित प्रपत्र मे नहीं किया गया जवाब में कार्यालय द्वारा बताया गया कि पंजियों का संधारण कर लिया जाएगा।

टिप्पणी –3 द्वि-प्रविष्टि प्रणाली में लेखाओं का संधारण

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 4 के अनुसार सभी नगरपालिकाएं अपने लेखा पुस्तकें को प्रविस्टिया लेखांकन प्रणाली (double entry system) के अनुसार संभूति लेखांकन प्रणाली (Accrual Accounting System) का अनुसरण करते हुए रखेगी

लेखाओं के जॉच के कम में पाया गया कि नगर परिषद बिक्रम द्वि–प्रविष्टिय लेखांकन प्रणाली () के अनुसार संभूति लेखांकन प्रणाली () का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा आपत्ति

नगर **पंचायत** द्वारा उपरोक्त लेखाओं का संधारण निर्धारित प्रपत्र मे नहीं किया गया है जवाब में कार्यालय द्वारा बताया गया की प्रक्रिया जारी है

<u>टिप्पणी –4 उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण</u>

लेखा परीक्षा दल ने नगरपालिका द्वारा प्राप्त विशिष्ट अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं उनसे के व्यय के समर्थन मे प्रेषण किए जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति स्पष्ट करने हेतु निम्न बिंदुयों पर पृच्छा की:-

1) विशिष्ट अनुदानों के व्यय के समर्थन मे कितनी राशि का ससमय विलम्ब से प /ेषण किया गया ।
2) विशिष्ट अनुदानों के व्यय के समर्थन मे कितनी राशि का प्रेषण नहीं किया गया ।
3) क्या कोई राशि खाता मे रहने के पश्चात भी उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया ।

4) क्या उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रेषण से पहले जाँच कर इसकी पुष्टि की गई कि कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजा गया ।

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि वर्ष 2014-15 तक कि उपयोगिता भेज दिया गया है

टिप्पणी –5 विलोपित
टिप्पणी –6 विलोपित
टिप्पणी –7 विलोपित
टिप्पणी –8 पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा 93 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को उन पर अपनी टिप्पणी के साथ पेश करेंगे, जो जांचोपरांत उन्हें अपनी टिप्पणी के, यदि कोई हो, नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। साथ ही, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अपने प्रतिवेदन में लेखा परीक्षक द्वारा बतलायी गयी त्रुटियों को दूर करेंगे। इसके अतिरिक्त धारा 94 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका द्वारा लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन अंगीकार किए जाने के पष्चात उस पर नगरपालिका द्वारा की गयी कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ उन्हें राज्य सरकार को अग्रसारित करेंगे और इसकी प्रति स्थानीय लेखापरीक्षक भेजेंगे।

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सभी कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक स्थानीय लेखापरीक्षक कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अंकेक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है।

कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है किन्तु लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत नहीं किया गया है। अनुपालन प्रतिवेदन संधारित कर महालेखाकार कार्यालय को भेज दिया जाए।

टिप्पणी –9 नगर पंचायत की योजनाओं को जिला योजना समिति में नहीं भेजा जाना

बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 की धारा 167 में यह प्रावधान किया गया है कि नगरपालिकाओं द्वारा पारित की गयी योजनाओं को समेकित करने हेतु जिला योजना समिति को भेजना है। जो पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन कर पूरे जिला के लिए विकास योजनाओं का प्रारूप बनाएगी और जिला योजना समिति का अध्यक्ष समिति द्वारा अनुशंसित विकास योजनाओं को सरकार के पास अग्रसारित करेगा।

लेकिन नगर पंचायत, बिक्रम के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 तथा 2015–16 की अवधि में क्रियान्वित करायी गयी योजनाओं को जिला योजना में समेकित करने हेतु जिला योजना समिति को नहीं भेजा गया था। जबकि जिले की सभी योजनाओं को क्रियान्वयन से पूर्व जिला योजना समिति द्वारा पारित होना चाहिए।

परन्तु नगर पंचायत की योजनाएँ जिला योजना समिति से पारित नहीं करायी गयी। इसके कारण जिला योजना समिति नगर पंचायत के सामान्य हितों के मामलों के साथ– साथ स्थानीय योजनाओं, जल एवं अन्य भौतिक और प्राकृतिक साधन–स्त्रोतों में हिस्सेदारी, आधारभूत संरचना का समेकित विकास एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हितों को जिला योजना समिति में समेकित नहीं कर सका तथा इससे सरकार को भी अवगत नहीं कराया जा सका।

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। अतः इस संबंध में उचित कार्यवाही की जाए।

टिप्पणी –10 पूर्णता एवं अधिपत्य प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाना

बिल्डिंग बाई लॉ के नियम 12.1 में प्रावधान किया गया है कि कार्य की समाप्ति पर, पंजीकृत तकनीकी व्यक्ति विहित प्रपत्र– C में भवन के कार्य पूर्ण होने की सूचना नगरपालिका प्राधिकारी को देगा तथा इसके नियम 13 के अनुसार निर्मित, पुनर्निर्मित अथवा परिवर्तित भवन को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से रहने के लिए तबतक प्रयोग नहीं किया जा सकेगा जबतक कि इसका आधिपत्य प्रमाण पत्र नगरपालिका को प्रधिकारी द्वारा निर्गत नहीं कर दिया जाता है तथा यह पुष्टि नहीं कर दी जाती है कि भवन रहने योग्य है।

नगर पंचायत, बिक्रम द्वारा उपर्युक्त नियम के तहत प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया।

कार्यालय द्वारा जबाब में कहा गया कि उपर्युक्त नियमानुसार पूर्णता एवं आधिपत्य प्रमाण पत्र भविष्य में निर्गत किया जायगा एवं अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

अतः नगर कार्यपालक पदाधिकारी से यह अनुरोध है कि पूर्णता एवं आधिपत्य प्रमाण पत्र अगले अंकेक्षण दल के समक्ष आवश्यक जांच हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

टिप्पणी –11 विलोपित

टिप्पणी –12 अनुज्ञप्ति

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के धारा 342 के अनुसार बिना नगरपालिका अनुज्ञप्ति के गैर आवासीय प्रयोजनों के लिए परिसरों का उपयोग नहीं किया जाना है। इस अधिनियम में कुल 337 प्रयोजनों का उल्लेख किया गया है जिनके लिये बिना नगरपालिका अनुज्ञप्ति के परिसरों का उपयोग नहीं किया जाना है।

धारा 343. रजिस्टर अनुरक्षित किया जाना– मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी यथाविहित ऐसे फारम में तथा ऐसी रीति से दो अलग–अलग रजिस्टर अनुरक्षित करेगा, जिसमें से –

(क) एक में इस अधिनियम में समनुदेशित गैर–आवासीय उपयोग की परिसरवार सूचना, अनन्य परिसर संख्या उपदर्शित की, यदि कोई हो, रहेगी,

(ख) दूसरे में विभिन्न गैर–आवासीय उपयोग कर्त्ता समूह के आधार पर विनियमों में यथा उपबंधित कारखाना, भण्डारगार, चिकित्सा संस्था, शैक्षिक संस्था एवं ऐसे अन्य उपयोग के लिए ऐसी सूचना रहेगी।

344. निजी बाजार के लिए नगरपालिका अनुज्ञप्ति।

345. मांस, मछली या कुक्कुट के बिक्री हेतु नगरपालिका अनुज्ञप्ति।

346. अननुज्ञप्त क्रिया–कलापों का प्रतिबंध।

347. ऐसे परिसरों के उपयोग को रोकने की शक्ति, जिनका उपयोग अनुज्ञप्ति का उल्लंघन करते हुए किया गया है–

(1) यदि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की यह राय हो कि किसी परिसर का उपयोग, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के बिना अथवा इसके लिए प्रदत अनुज्ञप्ति की शर्तों की अनुरूपता से भिन्न किया जा रहा है तो वह किसी ऐसे प्रयोजनार्थ ऐसे परिसरों के उपयोग को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसे उपाय से रोक सकता है, जो वह आवश्यक समझे।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा–(1) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए परिसर का उपयोग जारी रखता है मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्रवाई होने पर भी ऐसे व्यक्ति पर धारा–367 की उप धारा–(4) के उपबंध के अनुसार जारी रहने वाले जुर्माना उद्गृहीत कर सकता है।

अंकेक्षण आपत्ति/टिप्पणी

1. कुल 337 प्रयोजनों में से मात्र कुछ ही के लिए नगरपालिका अनुज्ञप्ति जारी की गई थी।
2. धारा 343 में उल्लेखित बहियों का संधारण नहीं किया गया था।
3. धारा 344 एवं 345 के अर्न्तगत भी कोई नगरपालिका अनुज्ञप्ति जारी नहीं किया गया।
4. धारा 347 में प्रावधानित शक्तियों का भी प्रयोग नही किया गया।

कार्यालय द्वारा जवाब में कहा गया कि विभिन्न व्यापार हेतु लाइसेंस निर्गत किए जा रहें है।

कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि नगरपालिका अनुज्ञप्ति के संबंध में आवश्यक कदम उठायें जाए ताकि नगरपालिका की आय में वृद्धि हो सके।

–हस्ता0–
मोजम्मिल
स0ले0प0अ0
–अनुमोदित–
उप महालेखाकार (SS-I)
–सह–
स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार

परिशिष्ट I

लेखा परीक्षा के दौरान जाँच किये गये अभिलेखों/पंजियों की सूचि

)

1. लेखापाल रोकड़ बही।
2. सहायक रोकड. बही
3. चेक अधपन्ना।
4. विविध रसीदें।
5. सहायक रोकड़ बहियाँ।
6. योजना संचिकाएं।
7. भण्डार पंजी।
8. बन्दोवस्ती संचिकाएँ।
9. अभिश्रव (आंषिक)
10. कय संबंधि संचिकाएँ।
11. वेतन पंजी।

परिषिष्ट II

लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत/असंधारित अभिलेखों/पंजियों की सूचि

)

1. माँग एवं वसूली पंजी।
2. कर्मचारियों के सेवा पुस्तिकाएँ।
3. भविष्यनिधि पास बुक।
4. वाद पंजी।
5. सम्पति पंजी।
6. ऋण पंजी।
7. अनुदान/आवंटन पंजी
8. लॉग बुक।
9. बिल पंजी।
10. बैठक पंजी।
11. कोषागार पास बुक/विवरणी।
12. रोकड़पाल रोकड़वही।
13. आंतरिक संसाधन रोकड. बही (वर्ष 2011–12 एवं 2012–13)
14. वार्षिक लेखा।
15. बजट।
16. अग्रिम पंजीं।
17. अभिश्रव (आंषिक)

परिशिष्ट III नगर पंचायत - [illegible]

क्र०	पत्रांक सं०	विवरण	राशि
1.	14 / 16/06/14	पेमाकर	467017
2.	25 / 24/7/14	जलापूर्ति	13570000
3.	25 / 24/7/14	जलापूर्ति -	3000000
4.	25 / 24/7/14	जलापूर्ति -	200000
5.	26 / 24/7/14	पार्षद भत्ता -	67200
6.	28 / 24/7/14	नगर भवन -	247125
7.	57 / 22/9/14	जलापूर्ति -	4000000
8.	57 / 22/9/14	जलापूर्ति -	680000
9.	57 / 22/9/14	जलापूर्ति -	80000
10.	60 / 26/9/14	वार्ड पार्षद भत्ता -	134400
11.	98 / 23/12/14	पथ एवं परिवहन -	1499000
12.	114 / 9/1/15	डि० उर्वीकरण -	150000
13.	149 / 25/2/15	पथ एवं परिवहन -	2860300
14.	136 / [illegible]	डि० उर्वीकरण -	240000

	139 / 18/2/15	—	पथ एवं परिवहन	—	1908328
	139 / 18/2/15	—	पथ एवं परिवहन	—	4677672
17.	159 / 20/3/15	—	चतुर्थ बिल	—	2334698
18.	159 / 20/3/15	—	चतुर्थ बिल	—	390740
19.	159 / 20/3/15	—	चतुर्थ बिल	—	1001443
20.	159 / 20/3/15	—	चतुर्थ बिल	—	1000000
21.	164 / 25/3/15	—	चतुर्थ बिल	—	2309030
22.	164 / 25/3/15	—	चतुर्थ बिल	—	989581
23.	164 / 25/3/15	—	चतुर्थ बिल	—	390740
24.	164 / 25/3/15	—	चतुर्थ बिल	—	1000000
25.					

16604232
27195042

Total → 43199274

नगर पंचायत - विक्रम 2013-14,

क्र०	पत्रांक सं०,	विवरण		राशि
	07 / 20/5/13	निर्वाचित प्रतिनिधियों की नियत बैठक, यात्राभत्ता	-	67200
	859 / 14/8/13	सामाजिक [illegible] एवं प्रचार-प्रसार हेतु (जनगणना)	—	12000
3.	42 / 26/3/13	पेशा-कर	—	371153
4.	50 / 13/11/13	नगर भवन	—	7547000
5.	78 / 20/1/14	जलापूर्ति	—	30260000
6.	78 / 20/1/14	जलापूर्ति	—	5890000
7.	78 / 20/1/14	जलापूर्ति	—	650000
8.	89 / 6/2/14	नगर सरकार भवन	-	4733000
9.	134 / 15/3/14	— चतुर्थ वित्त	—	3408485
10.	134 / 15/3/14	— चतुर्थ वित्त	-	1437253
11.	134 / 15/3/14	— चतुर्थ वित्त	-	769747
12.	134 / 15/3/14	— चतुर्थ वित्त	—	2000000
				57145838